ए. पी. चौधरी, जे.

श्री वेद पाल के पुत्र अशोक कुमार - ***याचिकाकर्ता।***

बनाम

चंडीगढ़ प्रशासन ने अपने
अधीक्षक जेल चंडीगढ़ और
अन्य- **उत्तरदाता।**

आपराधिक रिट याचिका सं. **1989 का 3315**

6 अक्टूबर, 1989

भारत का संविधान, 1950 *अनुच्छेद* 226, 227 - *विदेशी मुद्रा* का *संरक्षण* और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम *अधिनियम*/1974 *एस*3 (1), 12 (6) - *पंजाब अच्छा/ कैदियों का आचरण (अस्थायी रिहाई) अधिनियम*/ 1962 (1962 का *अधिनियम* 11) धारा 2 (डी) - पैरोल पर रिहाई के लिए *सीओएफईपीओएसए डी*एटेनु *की ओर से याचिका - याचिकाकर्ता केंद्र सरकार से संपर्क नहीं कर रहा है - पैरोल पर रिहाईके लिए आवेदन - क्या विचार किया जा सकता है।*

माना जाता है कि 'कैदी' शब्द को उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (डी) में परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है एक व्यक्ति जिसे कारावास की सजा के तहत जेल में बंद किया गया है। बंदी कैदी नहीं है जिसमें वह कारावास की सजा से नहीं गुजर रहा है। उसे कोफेपोसा अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत हिरासत में लिया गया है। कोई अन्य क़ानून संदर्भित नहीं है जिसके तहत याचिकाकर्ता पैरोल का दावा कर सकता है। कोफेपोसा अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (6) के तहत जमानत के लिए प्रवर को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया है। संशोधन अधिनियम, 1975 द्वारा संशोधित सीओएफईपीओएसए की धारा 12 की उप-धारा (6) भी आकर्षित नहीं है।
(पैरा 3)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत *याचिका में प्रार्थना की गई है कि यह माननीय है। उच्च न्यायालय निम्नलिखित जारी करने की कृपा कर सकता है :-*

(i) *प्रतिवादियों को बंदी प्रत्यक्षीकरण या* परमादेश की प्रकृति में एक रिट में कहा गया है *कि याचिकाकर्ता को अवैध रूप से आपातकालीन पैरोल* के लाभ

से *वंचित किया* गया है, *जिसके लिए* वह *विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम,* 1974 की धारा 12 के *तहत कानूनी रूप से हकदार है*।

(ii) *याचिकाकर्ता का* हलफनामा *हटा दिया जाए।*

(iii) *अनुबंध* पी/एल की प्रमाणित प्रति कृपया हटा दी *जाए।*

(iv) *प्रतिवादियों को अग्रिम नोटिस दिए जाने की कृपा की जा सकती है।*

श्री वेद पाल के पुत्र अशोक कुमार *बनाम* चंडीगढ़ प्रशासन ने
अपने अधीक्षक जेल चंडीगढ़ और एक अन्य
(आंध्र प्रदेश) को निलंबित कर दिया है।चौधरी, जे।

आगे प्रार्थना की जाती है कि:

याचिकाकर्ता को वर्तमान आपराधिक रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान अंतरिम जमानत *दी जा* सकती है।

याचिकाकर्ता की ओर से रशपाल सिंह, एडवोकेट।

वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद स्वरूप और *प्रतिवादी संख्या 10 की ओर से* अधिवक्ता सुनीत कश्यप ने पक्ष रखा। 1.

प्रतिवादी नंबर 2 की ओर से एडवोकेट एचएस बरार और एडवोकेट पीएस तेजी आए।

निर्णय

ए. पी. चौधरी, जे.

(1) संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस याचिका के निपटान के लिए आवश्यक संक्षिप्त अधिनियम यह है कि याचिकाकर्ता विदेशी मुद्रा संरक्षण की धारा 3 (1) के तहत पारित 11 मार्च, 1983 के एक आदेश के अनुसरण में एक बंदी है। तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 (संक्षेप में 'कोफेपोसा अधिनियम')। उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के तहत दिल्ली से चंडीगढ़ जेल स्थानांतरित किया गया था। याचिकाकर्ता ने अपने 7 वर्षीय बेटे आशीष के ऑपरेशन में भाग लेने के लिए चार सप्ताह के पैरोल के लिए आवेदन किया था और परिवार का कोई अन्य वयस्क पुरुष सदस्य नहीं था जो उक्त बच्चे की देखभाल कर सके। याचिकाकर्ता को अधिकारियों से कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए, उन्होंने अधिकारियों की उपरोक्त कार्रवाई को कानून के विपरीत और उक्त उद्देश्य के लिए पैरोल पर अपनी अस्थायी रिहाई के लिए प्रार्थना करते हुए वर्तमान याचिका दायर की।

(2) याचिका के पैरा 5 में यह कहा गया था कि इस न्यायालय या उच्चतम

न्यायालय में पहले कोई रिट याचिका दायर नहीं की गई थी। याचिका के पैराग्राफ 3 और 5 में कहा गया था कि सीजेआरएल। याचिकाकर्ता की पत्नी श्रीमती अरुणा आनंद द्वारा 20 मई, 1989 को इस न्यायालय में 1989 की रिट संख्या 1428 दायर की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता के लिए तीन सप्ताह की सजा मांगीगई थी। उल्लिखित आधार यह था कि याचिकाकर्ता का बेटा गंभीर रूप से बीमार था और पीजीआई चंडीगढ़ में इलाज करा रहा था। उस रिट याचिका में भारत सरकार के अवर सचिव, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा एक जवाब दायर किया गया था और उसमें कहा गया था कि 6 जुलाई, 1989 को सेंट जॉन हाई स्कूल, सेक्टर 26, चंडीगढ़ के प्रिंसिपल श्री एजे पिंटो द्वारा लिखे गए एक पत्र के आधार पर कि शिक्षक के बेटे आशीष आनंद ने अप्रैल के महीनों में सभी कार्य दिवसों में स्कूल में भाग लिया था।

इस जवाब केबाद याचिकाकर्ता ने 26 जुलाई, 1989 को नई याचिका दायर करने की अनुमति के साथ उक्त रिट याचिका वापस ले ली, लेकिन यह कहागया कि पैरा 5 में यह दावा गलत था कि इस न्यायालय में पहले ऐसी कोई याचिका दायर नहीं की गई थी।और यह तर्क दिया जाता है कि याचिका इस छोटे से आधार पर खारिज किए जाने योग्य है। वापसी में अन्य सामग्री को पार किया गया है। दोनों पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद, मेरा विचार है कि याचिका विफल होनी चाहिए।

(3) याचिका में मांगी गई राहत पैरोल में से एक है। पैरोल शब्द पंजाब अच्छे आचरण कैदी (अस्थायी रिहाई) अधिनियम, 1962 (1962 का पंजाब अधिनियम संख्या 11) में आता है। उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (डी) में 'कैदी' शब्द को परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ कारावास की सजा के तहत जेल में बंद व्यक्ति है। बंदी कैदी नहीं है जिसमें वह कारावास की सजा से नहीं गुजर रहा है। उन्हें कोफेपोसा अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत हिरासत में लिया गया है। मुझे किसी अन्य क़ानून का हवाला नहीं दिया गया है जिसके तहत याचिकाकर्ता पैरोल पर अपनी अस्थायी रिहाई का दावा कर सकता है। यदि प्रार्थना का अर्थ जमानत के लिए प्रार्थना माना जाता है, तो इसे COFEPOSA अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (6) के तहत स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। उक्त अधिनियम की धारा 12 अधिनियम के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्तियों की अस्थायी रिहाई से संबंधित है। उप-धारा (6) COFEPOSA संशोधन अधिनियम, 1975 (1975 का अधिनियम संख्या 35) द्वारा 1 जुलाई से प्रभावी रूप से जोड़ी गई थी। 1975. यह निम्नानुसार है: –

> "(6) किसी अन्य कानून में निहित किसी भी बात के बावजूद और इस धारा में अन्यथा उपबंधित को छोड़कर^ कोई भी व्यक्ति जिसके खिलाफ इस अधिनियम के तहत किया गया निरोध आदेश लागू है, उसे रिहा नहीं किया जाएगा, चाहे वह जमानत या जमानत बांड पर हो या अन्यथा।

वर्तमान मामला ऐसा मामला नहीं है जिसमें याचिकाकर्ता ने धारा 12 के तहत अपनी अस्थायी रिहाई के लिए केंद्र सरकार से संपर्क किया हो और केंद्र सरकार ने प्रार्थना को

अस्वीकार कर दिया हो और याचिकाकर्ताउस आदेश की वैधता को चुनौती दे रहा हो।

(4) यहां तक कि, अन्यथा, इस स्थिति के लिए अधिकार की एक श्रेणी हैकि सीओएफईपीओएसए अधिनियम के तहत एक बंदी को जमानत या पैरोल की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

श्री वेद पाल के पुत्र अशोक कुमार *बनाम* चंडीगढ़ प्रशासन
अपने अधीक्षक जेल चंडीगढ़ और एक अन्य
(आंध्र प्रदेश) के माध्यम सेचौधरी, जे।

पूनम लता वी. *एम. एल. वधावन* (1) में कहा गया था कि इस बात का बहुत अधिकार है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उच्च अधिकारी किसी कैदी को जमानत या पैरोल पर रिहा नहीं करते हैं। संदर्भ बिहार राज्य बनाम *बिहार राज्य* का था। *रामबालक सिंह* (2), जिसमें शीर्ष अदालत की एक संविधान पीठ ने कहा कि भारत के रक्षा नियम, 1962 के नियम 30 के तहत हिरासत में रखे गए एक कैदी को जमानत पर रिहा करना, *बंदी प्रत्यक्षीकरण* रिट की रिट देने के लिए एक याचिका की सुनवाई से पहले जमानत पर रिहा करना अधिकार क्षेत्र का एक अनुचितप्रयोग था। *उत्तर प्रदेश राज्य* बनाम उत्तर प्रदेश *जियारार्न* (3)) उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश को शीर्ष अदालत द्वारा रद्द कर दिया गया था, जिसमें हिरासत में लिए गए व्यक्ति को जमानत पर स्वीकार किया गया था। संदर्भ समीर चटर्जी बनाम *समीर चटर्जी* का था। *पश्चिम बंगाल राज्य* (4), जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम, 1971 की धारा 3 (1) के तहत एक बंदी को जमानत पर रिहा करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया।

(5) *पूनम लता के* मामले (सुप्रा) में यह देखा गया कि अदालत के पास हिरासत की अवधि को प्रतिस्थापित करने या इसे बढ़ाकर बदलने की कोई शक्ति नहीं है। यह देखा गया कि न्यायालय के पास जो एकमात्र शक्ति उपलब्ध है, वह आदेश को अवैध पाए जाने की स्थिति में रद्द करना है; ऐसा होने पर अदालत के लिए यह खुला नहीं होगा कि वह हिरासत की अवधि को कम करे और हिरासत में लिए गए व्यक्ति को पैरोल पर स्वीकार करे। मामले में, सीओएफईपीओएसए अधिनियम के तहत हिरासत के दो व्यापक उद्देश्यों का उल्लेख किया गया था। ये हैं:

(1) संबंधित व्यक्ति को विदेशी मुद्रा के संरक्षण के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण गतिविधि में खुद को शामिल करने से रोकना और उसे गतिविधियों की तस्करी करने से रोकना: और

(2) इस तरह से संलग्न व्यक्ति और ऐसी गतिविधि के स्रोत और उस गतिविधि में लगे एनआईएस सहयोगियों के बीच की कड़ी को तोड़ने के लिए या ऐसी-पूर्व-न्यायिक गतिविधियों की निरंतरता को तोड़ने के लिए ताकि उसके लिए गतिविधियों को फिर से शुरू करना असंभव नहीं तो मुश्किल हो जाए।

(1)	ए.आई.आर.1987	एस.सी.1383
(2)	ए.आई.आर.1966	एस.सी.1441
(3)	ए.आई.आर.1982	एस.सी.942.
(4)	ए.आई.आर.1975	एस.सी.1165

यह बताया गया कि हिरासत का आदेश दिए जाने पर हिरासत में लिए गए व्यक्ति की रिहाई पूर्वोक्त विधायी उद्देश्यों के विपरीत थी। उच्चतम न्यायालय के उनके लॉर्डशिप द्वारा यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि न्यायालय द्वारा पैरोल के लिए आवेदन पर विचार करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

(6) पूर्वगामी कारणों से, याचिकाकर्ता को कोई राहत देना संभव नहीं है। हालांकि, याचिकाकर्ता उचित राहत के लिए केंद्र सरकार के पास जा सकता है । वर्तमान याचिका खारिज की जाती है।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

पारस चौधरी

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

फ़रीदाबाद, हरियाणा।